

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक.....3395...../ 25

सतना दिनांक 09..09.2025

एक-2-1/95

प्रतिलिपि :-

- की ओर यथा आदेश वर्ष 2025 के कार्य विभाजन पत्रक की प्रति
1. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) सतना ।
2. समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सतना/मैहर नागौद/अमरपाटन/उचेहरा/रामपुर बाघेलान
3. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड सतना/मैहर/नागौद/अमरपाटन/ रामपुर बाघेलान/चित्रकूट/उचेहरा/मझगवां
4. अध्यक्ष, अधिवक्ता संध सतना/मैहर/नागौद/अमरपाटन/रामपुर बाघेलान
5. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय सतना
6. प्रस्तुतकार/निष्पादन लिपिक न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना ।
7. आफिस मोहररि, कार्यालय प्रधान जिला न्यायाधीश सतना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
8. जे.एस.ए. जिला न्यायालय सतना की ओर कार्य विभाजन विविध आदेश वर्ष 2025-26 को सी.आई.एस. साफ्टवेयर में अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।


09.9.2025

प्रशासनिक अधिकारी
कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सतना (म.प्र.)

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना (म0प्र0)

// विविध आदेश //

क्रमांक 492 / 25
एक-2-1/95

सतना, दिनांक 09.09.2025

मैं श्रीमती गीता सोलंकी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना पूर्व में जारी व्यवहार एवं सत्र खण्ड कार्य विभाजन पत्रक क्रमांक 174/24 दिनांक 13.04.2024 एवं उसके पश्चात किये गये संशोधन संबंधी विभिन्न आदेशों को अतिष्ठित करते हुये म0प्र0 व्यवहार न्यायालय नियम 1958 की धारा 15 व 21 (4) एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 10 की उपधारा 2, 194, 381 (2), 400 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार व्यवहार एवं सत्र खण्ड कार्य विभाजन पत्रक जारी करती हूँ जो आदेश दिनांक से प्रभावशील होगा।

क्र.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	कार्य का विभाजन
1	श्रीमती गीता सोलंकी, सत्र न्यायाधीश सतना	सतना सत्र खंड	1. सत्र प्रकरण 2. आपराधिक अपील 3. आपराधिक पुनरीक्षण 4. विविध आपराधिक प्रकरण (इसी न्यायालय के) 5. मानवाधिकार अधिनियम एवं अन्य सभी विशेष अधिनियमों के अंतर्गत सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरण, जिनके लिये अन्य कोई विशेष न्यायालय गठित नहीं है। 6. सती (निवारण) अधि 1987/88 की संख्यांक 3 (की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रकरण) विधि विभाग की अधिसूचना क्रमांक 01.04.82/21-ब (एक)दिनांक 09.01.2004 7. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 के आवेदन पत्र (विशेष अधिनियम के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय की सुनवाई योग्य प्रकरणों से संबंधित आवेदन पत्रों को छोड़कर) 8. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 के अंतर्गत आवेदन पत्र जिस न्यायालय द्वारा जिस अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन सुन लिया गया है तो पश्चातवर्ती धारा की जमानत का आवेदन पत्र एवं उसी अपराध से संबंधित सह अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र उसी न्यायालय में (सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में भी) स्थानांतरित माना जावेगा। 9. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सतना के निर्णय एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की जाने वाली दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण एवं आवेदन पत्र। 10. औषधि और प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 13 के खण्ड (क) तथा (ख), धारा 22 की उपधारा 3, धारा 27 के खण्ड (क) तथा (ग), धारा 28, धारा 28क, धारा 28ख, तथा धारा 30 की उपधारा 1 के खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय प्रकरण। 11. किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत ऐसे प्रकरणों को, जो सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य हो एवं जिनका कार्य विभाजन पत्रक में उल्लेख नहीं है।
2.	श्रीमती गीता सोलंकी, प्रधान जिला न्यायाधीश सतना	संपूर्ण जिला सतना	1. किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत ऐसे प्रकरणों को, जो जिला न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य हो एवं जिनका कार्य विभाजन पत्रक में उल्लेख नहीं है, जिला न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। 2. 50,00,00,001/-रु0 (पचास करोड़ एक) से अधिक मूल्य के समस्त व्यवहारवाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध आवेदन पत्र एवं घातक अपकृत्य विधि से संबंधित समस्त दावे तहसील मैहर/नागौद/अमरपाटन एवं रामपुर बाघेलान की क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर। 3. रेलवे दावा न्यायाधिकरण द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर रेल्वे अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के विचारण योग्य प्रस्तुत अन्य समस्त प्रकरण। 4. ट्रेडमार्क अधिनियम 1940 के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 5. भारतीय कंपनी अधिनियमों के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 6. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी के द्वारा अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपीलें। 7. व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अंतर्गत व्यवहार प्रकरणों से संबंधित आवेदन पत्र। 8. भू अर्जन अधिनियमों के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 9. मध्यस्थ अधिनियमों के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 10. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सतना द्वारा व्यवहारिक प्रकरणों में घोषित निर्णय/डिक्री/आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की जाने वाली अपील एवं अन्य आवेदन पत्र। 11. नगरपालिका निगम/परिषद् सतना के चुनाव से उत्पन्न याचिका/अपील। 12. सिविल जिला सतना की स्थानीय सीमाएं के अंतर्गत अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा उससे उत्पन्न दावे एवं आवेदन पत्र।

3	श्री प्रशांत कुमार निगम, विशेष न्यायाधीश एस. सी.एस.टी.एक्ट सतना	सतना सत्र खंड	1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, निक्षेपकों के हितों के प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र। 2. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, क्रिमिनल अपील, क्रिमिनल रिवीजन, क्रिमिनल अपील, विविध आपराधिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित व्यवहार वाद, सिविल अपील, मि.सिविल अपील, विविध व्यवहार वाद, इजराय, क्लेम, भू-अर्जन के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
4	श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्याया. / विशेष न्यायाधीश भ्र. नि.अधि.सतना	सतना सत्र खंड	1. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश के द्वारा अंतरित किए गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण एवं विविध आपराधिक प्रकरण। 2. जमानत आवेदन पत्र, जिन्हें सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावे। 3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं जमानत एवं अन्य आवेदन पत्र। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित व्यवहार वाद, सिविल अपील, मि.सिविल अपील, विविध व्यवहार वाद, इजराय, क्लेम, भू-अर्जन के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
5	श्री नंदराम परमार, द्वितीय अपर सत्र न्याया. / विशेष न्यायाधीश विद्युत (शहरी) क्षेत्र सतना	सतना सत्र खंड	1. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश के द्वारा अंतरित किए गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण एवं विविध आपराधिक प्रकरण। 2. जमानत आवेदन पत्र जिन्हें सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावे। 3. विद्युत अधिनियम से संबंधित सतना शहरी क्षेत्र के समस्त प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
6	श्री नंदराम परमार, द्वितीय जिला न्यायाधीश सतना	तहसील रघुराजनगर, मझगवां, बिरसिंहपुर, कोटर	1. 1,00,00,001 से 50,00,00,000 /— तक के मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं उससे संबंधित विविध आवेदन पत्र माह जनवरी एवं फरवरी में प्रस्तुत किए जाने वाले। 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सतना एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सतना द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्कियों के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीलों। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित व्यवहार वाद, सिविल अपील, मि.सिविल अपील, विविध व्यवहार वाद, इजराय, क्लेम, भू-अर्जन के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
7	श्री नंदराम परमार, द्वितीय अपर मो.दु.दावा. अधि. सतना	थाना धारकुण्डी एवं जी.आर.पी.	थाना धारकुण्डी एवं जी.आर.पी. की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे एवं संबंधित आवेदन पत्र।
8	श्री विकास भटेल, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश विद्युत (ग्रामीण) क्षेत्र सतना	सतना सत्र खंड	1. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश के द्वारा अंतरित किए गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण एवं विविध आपराधिक प्रकरण। 2. जमानत आवेदन पत्र, जिन्हें सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावे। 3. विद्युत अधिनियम से संबंधित सतना ग्रामीण क्षेत्र के समस्त प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
9	श्री विकास भटेल, तृतीय जिला न्यायाधीश सतना	तहसील रघुराजनगर, मझगवां, बिरसिंहपुर, कोटर	1. 1,00,00,001 से 50,00,00,000 /— तक के मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं उससे संबंधित विविध आवेदन पत्र माह मार्च में प्रस्तुत किए जाने वाले। 2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सतना एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सतना द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीलों। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित व्यवहार वाद, सिविल अपील, मि.सिविल अपील, विविध व्यवहार वाद, इजराय, क्लेम, भू-अर्जन के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
10	श्री विकास भटले, तृतीय अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सतना	थाना कोठी, सभापुर एवं मझगवां	थाना कोठी, सभापुर एवं मझगवां की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे एवं संबंधित आवेदन पत्र।
11	षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम सतना	सतना सत्र खंड	1. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश के द्वारा अंतरित किए गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण एवं विविध आपराधिक प्रकरण। 2. जमानत आवेदन पत्र, जिन्हें सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावे। 3. मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ-12-78/04 बी (1) दो भोपाल दिनांक 25.11.04 में सतना जिले के विनिर्दिष्ट भागों से म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।

12	षष्ठम जिला न्यायाधीश सतना	तहसील रघुराजनगर, मझगवां, बिरसिंहपुर, कोटर	1. 1,00,00,001 से 50,00,00,000/- तक के मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं उससे संबंधित विविध आवेदन पत्र माह अप्रैल में प्रस्तुत किए जाने वाले। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित व्यवहार वाद, सिविल अपील, मि.सिविल अपील, विविध व्यवहार वाद, इजराय, क्लेम, भू-अर्जन के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
13	षष्ठम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सतना	—	—
14	श्री मुकेश कुमार यादव, सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश सतना	सतना सत्र खंड	1. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश के द्वारा अंतरित किए गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण एवं विविध आपराधिक प्रकरण। 2. जमानत आवेदन पत्र जिन्हें सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावे।
15	श्री मुकेश कुमार यादव, सप्तम जिला न्यायाधीश सतना	तहसील रघुराजनगर, मझगवां, बिरसिंहपुर, कोटर	1. 1,00,00,001 से 50,00,00,000/- तक के मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं उससे संबंधित विविध आवेदन पत्र माह मई+जून में प्रस्तुत किए जाने वाले। 2. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड चित्रकूट द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्रियों के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीलें। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित व्यवहार वाद, सिविल अपील, मि.सिविल अपील, विविध व्यवहार वाद, इजराय, क्लेम, भू-अर्जन के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
		तहसील मझगवां, बिरसिंहपुर एवं कोटर	हिन्दू विवाह अधिनियम तथा अन्य विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त मैट्रीमोनियल प्रकरण माह जनवरी से अप्रैल तक प्रस्तुत किए जाने वाले (कुटुम्ब न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
16	श्री मुकेश कुमार यादव, सप्तम अपर मो.दु. दावा अधिकरण सतना	थाना कोलगवां	थाना कोलगवां की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे एवं संबंधित अन्य समस्त आवेदन पत्र।
17	श्री अमर सिंह सिसोदिया, अष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सतना	सतना सत्र खंड	1. पाक्सो एक्ट-2012 के अंतर्गत जिला मुख्यालय मुख्यालयों में प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उससे संबंधित समस्त जमानत एवं अन्य आवेदन पत्र। 2. किशोर न्यायालय सतना की न्यायालय के निर्णय तथा आदेशों के विरुद्ध अपील और पुनरीक्षण याचिकाएं। पाक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरणों सहित। 3. जमानत आवेदन पत्र जिन्हें सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित की जावे। 4. किशोर न्यायालय सतना द्वारा पाक्सो अधिनियम से संबंधित स्थानांतरित प्रकरण।
18	श्री शशि कान्त वर्मा, नवम अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एन. डी. पी.एस. एक्ट/ एन.आई.ए. एक्ट सतना	सतना सत्र खंड	1. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश के द्वारा अंतरित किए गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण एवं विविध आपराधिक प्रकरण। 2. जमानत आवेदन पत्र जिन्हें सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावे। 3. मादक एवं द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम से संबंधित प्रकरण, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही। 4. National Investigation Agency Act, 2008 से संबंधित समस्त प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
19	श्री शशि कान्त वर्मा, नवम जिला न्यायाधीश सतना	तहसील रघुराजनगर, मझगवां, बिरसिंहपुर, कोटर	1. 1,00,00,001 से 50,00,00,000/- तक के मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं उससे संबंधित विविध आवेदन पत्र माह जुलाई एवं अगस्त में प्रस्तुत किए जाने वाले। 2. षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सतना, पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्रियों के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीलें। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित व्यवहार वाद, सिविल अपील, मि.सिविल अपील, विविध व्यवहार वाद, इजराय, क्लेम, भू-अर्जन के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं आवेदन पत्र। 3. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश सतना द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीलें।
20	श्री शशि कान्त वर्मा, नवम अपर मो. दुर्घटना दावा अधिकरण सतना	थाना कोटर एवं सिविल लाईन	थाना कोटर एवं सिविल लाईन की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे एवं संबंधित अन्य समस्त आवेदन पत्र।

21	श्री मुकेश सिंह चौहान, ग्यारहवें अपर सत्र न्यायाधीश सतना		1. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश के द्वारा अंतरित किए गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण एवं विविध आपराधिक प्रकरण । 2. जमानत आवेदन पत्र, जिन्हें सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावे ।
22	श्री मुकेश सिंह चौहान, ग्यारहवें, जिला न्यायाधीश सतना	सतना सत्र खंड एवं तहसील रघुराजनगर, मझगवां, बिरसिंहपुर, कोटर तहसील मझगवां, बिरसिंहपुर एवं कोटर	1. 1,00,00,001 से 50,00,00,000/- तक के मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं उससे संबंधित विविध आवेदन पत्र माह सितम्बर एवं अक्टूबर में प्रस्तुत किए जाने वाले । 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित व्यवहार वाद, सिविल अपील, मि.सिविल अपील, विविध व्यवहार वाद, इजराय, क्लेम, भू-अर्जन के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं आवेदन पत्र । 3. सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सतना एवं षष्ठम/सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सतना द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीलें । 4. मुख्यालय सतना/चित्रकूट में संवालिता/रिक्त ऐसे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड की न्यायालय जिनका उल्लेख कार्य विभाजन विविध ओदश में न किया गया है, के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीलें । हिन्दू विवाह अधिनियम तथा अन्य विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त मैट्रीमोनियल प्रकरण माह मई से अगस्त तक प्रस्तुत किए जाने वाले (कुटुम्ब न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
23	श्री मुकेश सिंह चौहान, ग्यारहवें अतिरिक्त मोटर दु.दावा अधिकरण सतना	थाना सिटी कोतवाली	थाना सिटी कोतवाली की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे एवं संबंधित अन्य समस्त आवेदन पत्र ।
24	श्री दीनानाथ वाडिवा, बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (OAW) सतना	सतना सत्र खंड	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित महिलाओं के विरुद्ध अपराध (जैसे रेप, गैंगरेप, मर्डर विथ रेप एवं अन्य अपराध) से संबंधित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण एवं विविध आपराधिक प्रकरण । 2. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश के द्वारा अंतरित किए गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण एवं विविध आपराधिक प्रकरण । 3. जमानत आवेदन पत्र जिन्हें सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावे । 4. किशोर न्यायालय सतना द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 की धारा 15 के तहत मुख्यालय सतना के स्थानांतरित प्रकरण ।
28	श्री दीनानाथ वाडिवा, बारहवें, जिला न्याया. सतना	तहसील रघुराजनगर, मझगवां, बिरसिंहपुर, कोटर तहसील मझगवां, बिरसिंहपुर एवं कोटर	1. 1,00,00,001 से 50,00,00,000/- तक के मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं उससे संबंधित विविध आवेदन पत्र नवम्बर एवं दिसम्बर में प्रस्तुत किए जाने वाले । 2. पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सतना एवं नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सतना एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश सतना द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीलें । 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित व्यवहार वाद, सिविल अपील, मि.सिविल अपील, विविध व्यवहार वाद, इजराय, क्लेम, भू-अर्जन के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं आवेदन पत्र । 4. गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत समस्त प्रकरण । 5. भारतीय पागलपन अधिनियम के अंतर्गत समस्त प्रकरण । 6. दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण । 7. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत (पार्ट-10 को छोड़कर) प्रोवेट के लिये प्रस्तुत समस्त प्रकरण । हिन्दू विवाह अधिनियम तथा अन्य विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त मैट्रीमोनियल प्रकरण माह सितम्बर से दिसम्बर तक प्रस्तुत किए जाने वाले (कुटुम्ब न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
29	श्री दीनानाथ वाडिवा, बारहवें, अपर मो.दु. दावा अधिकरण सतना	थाना जैतवारा, बरौधा एवं नयागवां	थाना जैतवारा, बरौधा एवं नयागवां की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे एवं संबंधित अन्य समस्त आवेदन पत्र ।
30	श्री आदेश कुमार जैन, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मैहर	थाना मैहर	1. सत्र प्रकरण । 2. आपराधिक अपील । 3. आपराधिक पुनरीक्षण । 4. विविध आपराधिक प्रकरण । 5. जमानत आवेदन पत्र, जिन्हें सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावे ।

			6. आरक्षी केन्द्र मैहर थाना क्षेत्रों के सभी जमानत आवेदन पत्र (अन्य अधिसूचित विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य अपराधों को छोड़कर) 7. श्रीमती भानू पंडवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मैहर के न्यायालयों के निर्णय एवं दण्डादेशों तथा आदेशों के विरुद्ध अपील और पुनरीक्षण याचिकाएं
31	श्री आदेश कुमार जैन, प्रथम जिला न्यायाधीश मैहर	तहसील मैहर	1. 1,00,00,001/- रुपये से अधिक मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं संबंधित विविध आवेदन पत्र तथा हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम के अंतरगत मैट्रीमोनियल प्रकरण एवं घातक अपकृत्य विधि से संबंधित समस्त दावे माह जनवरी से अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाने वाले। 2. रु. 501/- से 1,000/-रु. तक मूल्य के लघुवाद प्रकरण। 3. उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण। 4. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मैहर एवं प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मैहर के न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीलें। 5. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक अधिकारी (रेंट कंट्रोल) के आदेशों के विरुद्ध अपील 6. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 7. मध्यस्थ अधिनियम (आर्बीट्रेशन एक्ट) के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 8. दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध समस्त आवेदन पत्र। 9. दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 10. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत (पार्ट-10 को छोड़कर) प्रोवेट के लिये प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 11. भारतीय पागलपन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण। 12. गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 13. हिन्दू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण 14. नगरपालिका परिषद के चुनाव से उत्पन्न याचिका/अपीलें। 15. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित व्यवहार वाद, सिविल अपील, मि.सिविल अपील, विविध व्यवहार वाद, इजराय, क्लेम, भू-अर्जन के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
32	श्री आदेश कुमार जैन, प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मैहर	थाना मैहर	थाना मैहर की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे एवं संबंधित अन्य समस्त आवेदन पत्र।
33	श्री योगीराज पाण्डेय, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मैहर	थाना बदेरा	1. सत्र प्रकरण। 2. आपराधिक अपील। 3. आपराधिक पुनरीक्षण। 4. विविध आपराधिक प्रकरण। 5. जमानत आवेदन पत्र, जिन्हें सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावे। 6. आरक्षी बदेरा थाना क्षेत्रों के सभी जमानत आवेदन पत्र (अन्य अधिसूचित विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य अपराधों को छोड़कर) 7. श्रीमती निशा रघुवेशी, जे.एम.एफ.सी. मैहर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मैहर के न्यायालयों के निर्णय एवं दण्डादेशों तथा आदेशों के विरुद्ध अपील और पुनरीक्षण याचिकाएं 8. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित अन्य आपराधिक प्रकरण 9. तहसील मैहर के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न पाक्सो एक्ट-2012 से संबंधित प्रकरण तथा उनके रिमार्ड, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही।
34	श्री योगीराज पाण्डेय, द्वितीय जिला न्यायाधीश मैहर	तहसील मैहर	1. 1,00,00,001/- रुपये से अधिक मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं संबंधित विविध आवेदन पत्र तथा हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम के अंतरगत मैट्रीमोनियल प्रकरण एवं घातक अपकृत्य विधि से संबंधित समस्त दावे माह मई से अगस्त तक प्रस्तुत किया जाने वाले। 2. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मैहर न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीलें। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित व्यवहार वाद, सिविल अपील, मि.सिविल अपील, विविध व्यवहार वाद, इजराय, क्लेम, भू-अर्जन के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
35	श्री योगीराज पाण्डेय, द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मैहर	थाना बदेरा	थाना बदेरा की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे एवं संबंधित अन्य समस्त आवेदन पत्र।

36	श्री लटौरिया, अपर न्यायाधीश मैहर/विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम, मैहर	शरद चतुर्थ सत्र थाना अमदरा एवं मैहर दैहात	1. सत्र प्रकरण। 2. आपराधिक अपील। 3. आपराधिक पुनरीक्षण। 4. विविध आपराधिक प्रकरण। 5. जमानत आवेदन पत्र, जिन्हें सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावे। 6. आरक्षी अमदरा एवं मैहर दैहात थाना क्षेत्रों के सभी जमानत आवेदन पत्र (अन्य अधिसूचित विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य अपराधों को छोड़कर) 7. श्री उद्दजीत कुवार राव एवं अन्य रिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मैहर के न्यायालयों के निर्णय एवं दण्डादेशों तथा आदेशों के विरुद्ध अपील और पुनरीक्षण याचिकाएं 8. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित अन्य प्रकरण 9. अनुविभागीय दंडाधिकारी मैहर से उत्पन्न अपील एवं पुनरीक्षण। 10. मैहर विद्युत क्षेत्र से संबंधित विद्युत अधिनियम के प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
37	श्री लटौरिया, जिला न्यायाधीश मैहर	शरद चतुर्थ सत्र तहसील मैहर	1. 1,00,00,001/- रुपये से अधिक मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं संबंधित विविध आवेदन पत्र तथा हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत मैट्रीमोनियल प्रकरण एवं घातक अपकृत्य विधि से संबंधित समस्त दावे माह सितम्बर से दिसम्बर तक प्रस्तुत किया जाने वाले। 2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मैहर एवं रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मैहर की न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीलों। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित व्यवहार वाद, सिविल अपील, मि.सिविल अपील, विविध व्यवहार वाद, इजराय, क्लेम, भू-अर्जन के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं आवेदन पत्र। 4. मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर अधिनियम से उत्पन्न प्रकरण।
38	श्री लटौरिया, अतिरिक्त मो०दु०दावा० अधिकरण मैहर	शरद चतुर्थ सत्र थाना अमदरा एवं मैहर दैहात	थाना अमदरा एवं मैहर दैहात की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे एवं संबंधित अन्य समस्त आवेदन पत्र।
39	श्री प्रदीप कुमार दुबे, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम, अमरपाटन	थाना अमरपाटन, रामनगर एवं ताला	1. सत्र प्रकरण। 2. आपराधिक अपील। 3. आपराधिक पुनरीक्षण। 4. विविध आपराधिक प्रकरण। 5. जमानत आवेदन पत्र, जिन्हें सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावे। 6. आरक्षी केन्द्र अमरपाटन, रामनगर एवं ताला क्षेत्र के सभी जमानत आवेदन पत्र (अन्य अधिसूचित विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य अपराधों को छोड़कर) 7. समस्त न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अमरपाटन के न्यायालय के निर्णय एवं दण्डादेशों तथा आदेशों के विरुद्ध अपील और पुनरीक्षण याचिकाएं। 8. अमरपाटन विद्युत क्षेत्र से संबंधित विद्युत अधिनियम के प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र। 9. तहसील अमरपाटन एवं रामनगर के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न पाक्सो एक्ट-2012 से संबंधित प्रकरण तथा उनके रिमार्ड, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही।
40	श्री प्रदीप कुमार दुबे, द्वितीय जिला न्यायाधीश अमरपाटन	तहसील अमरपाटन एवं रामनगर	1. 1,00,00,001/- रुपये से अधिक मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं संबंधित विविध आवेदन पत्र तथा हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत समस्त मैट्रीमोनियल प्रकरण एवं घातक अपकृत्य विधि से संबंधित समस्त दावे। 2. रु. 501/- से 1,000/-रु. तक मूल्य के लघुवाद प्रकरण। 3. उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण। 4. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड अमरपाटन के न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीलों। 5. दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध समस्त आवेदन पत्र। 6. दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 7. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 8. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत (पार्ट-10 को छोड़कर) प्रोवेट के लिये प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 9. भारतीय पागलपन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण। 10. गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 11. हिन्दू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण। 12. नगरपालिका परिषद के चुनाव से उत्पन्न याचिका/अपीलों। 13. मध्यस्थ अधिनियम (आर्बीट्रेशन एक्ट) के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण।

			14. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित व्यवहार वाद, सिविल अपील, मि.सिविल अपील, विविध व्यवहार वाद, इजराय, क्लेम, भू-अर्जन के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं आवेदन पत्र। 15. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक अधिकारी (रेंट कंट्रोल) के आदेशों के विरुद्ध अपील
41	श्री प्रदीप कुमार दुबे, द्वितीय अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अमरपाटन	थाना अमरपाटन, रामनगर एवं ताला	थाना अमरपाटन, रामनगर एवं ताला की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित दावे एवं संबंधित अन्य समस्त आवेदन पत्र।
42	श्री उमेश कुमार शर्मा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश	थाना नागौद एवं जसो	1. सत्र प्रकरण। 2. आपराधिक अपील। 3. आपराधिक पुनरीक्षण। 4. विविध आपराधिक प्रकरण। 5. जमानत आवेदन पत्र, जिन्हें सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावे। 6. थाना नागौद एवं जसो क्षेत्र के सभी जमानत आवेदन पत्र (अन्य अधिसूचित विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य अपराधों को छोड़कर) 7. श्री राजीव पटेल, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नागौद एवं अन्य रिक्त न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालयों के निर्णय एवं दंडादेशों तथा आदेशों के विरुद्ध अपील और पुनरीक्षण याचिकाएं। 8. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय नागौद के निर्णय व आदेश से उत्पन्न होने वाली अपील एवं पुनरीक्षण। 09. अनुविभागीय दंडाधिकारी नागौद से उत्पन्न पुनरीक्षण एवं अपील। 10. तहसील नागौद के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न पाक्सो एक्ट-2012 से संबंधित प्रकरण तथा उनके रिमार्ड, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही।
43	श्री उमेश कुमार शर्मा, प्रथम जिला न्यायाधीश नागौद	तहसील नागौद	1. 1,00,00,001/- रुपये से अधिक मूल्य के व्यवहार वाद एवं उससे संबंधित विविध आवेदन पत्र तथा हिन्दू विवाह अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत मैट्रीमोनियल प्रकरण एवं घातक अपकृत्य विधि से संबंधित समस्त दावे माह जनवरी से जून तक प्रस्तुत होने वाले। 2. रु. 501/- से 1,000/-रु. तक मूल्य के लघुवाद प्रकरण। 3. उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण। 4. दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध समस्त आवेदन पत्र। 5. दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 6. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 7. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत (पार्ट-10 को छोड़कर) प्रोबेट के लिये प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 8. भारतीय पागलपन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण। 9. गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 10. हिन्दू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण। 11. नगरपालिका परिषद के चुनाव से उत्पन्न याचिका/अपीलें। 12. मध्यस्थ अधिनियम (आर्बीट्रेशन एक्ट) के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 13. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय नागौद के निर्णय/डिक्री व आदेशों से उत्पन्न अपील एवं विविध अपील। 14. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड नागौद की न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीलें। 15. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित व्यवहार वाद, सिविल अपील, मि.सिविल अपील, विविध व्यवहार वाद, इजराय, क्लेम, भू-अर्जन के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं आवेदन पत्र। 16. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक अधिकारी (रेंट कंट्रोल) के आदेशों के विरुद्ध अपील
44	श्री उमेश कुमार शर्मा, प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण नागौद	थाना नागौद एवं जसो	थाना नागौद एवं जसो की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे एवं संबंधित अन्य समस्त आवेदन पत्र।
45	श्री सदाशिव दोंगोडे, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश विद्युत	थाना सिंहपुर	1. सत्र प्रकरण। 2. आपराधिक अपील। 3. आपराधिक पुनरीक्षण। 4. विविध आपराधिक प्रकरण। 5. जमानत आवेदन पत्र, जिन्हें सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावे। 6. थाना सिंहपुर क्षेत्र के सभी जमानत आवेदन पत्र (अन्य अधिसूचित विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य अपराधों को छोड़कर)

	अधिनियम, नागौद		7. श्री वैभव पटेल एवं श्रीमती शिमोन सिंह कुल्हारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नागौद की न्यायालयों के निर्णय एवं दण्डादेशों तथा आदेशों के विरुद्ध अपील और पुनरीक्षण याचिकाएं। 8. नागौद विद्युत क्षेत्र से संबंधित विद्युत अधिनियम के प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
46	श्री सदाशिव दोंगोडे, द्वितीय जिला न्यायाधीश नागौद	तहसील नागौद	1. 1,00,00,001/- रुपये से अधिक मूल्य के व्यवहार वाद एवं उससे संबंधित विविध आवेदन पत्र तथा हिन्दू विवाह अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत मैट्रीमोनियल प्रकरण एवं घातक अपकृत्य विधि से संबंधित समस्त दावे माह जुलाई से दिसम्बर तक प्रस्तुत होने वाले। 2. उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण। 3. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड नागौद एवं समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड नागौद के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीलें। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित व्यवहार वाद, सिविल अपील, मि.सिविल अपील, विविध व्यवहार वाद, इजराय, क्लेम, भू-अर्जन के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं आवेदन पत्र।
47	श्री सदाशिव दोंगोडे, द्वितीय अतिरिक्त मो0दु0दावा अधिकरण नागौद	थाना सिंहपुर	थाना सिंहपुर की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे।
48	श्रीमती शबनम कादिर मंसूरी, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नागौद	तहसील नागौद	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल एवं आपराधिक प्रकरण।
49	श्री सदाशिव दोंगोडे, अपर सत्र न्यायाधीश श्रंखला न्यायालय उचेहरा	थाना उचेहरा	1. सत्र प्रकरण। 2. आपराधिक अपील। 3. आपराधिक पुनरीक्षण। 4. विविध आपराधिक प्रकरण। 5. जमानत आवेदन पत्र, जिन्हें सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावे। 6. थाना उचेहरा क्षेत्र के सभी जमानत आवेदन पत्र (अन्य अधिसूचित विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य अपराधों को छोड़कर) 7. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उचेहरा की न्यायालयों के निर्णय एवं दण्डादेशों तथा आदेशों के विरुद्ध अपील और पुनरीक्षण याचिकाएं। 08. अनुविभागीय दंडाधिकारी उचेहरा से उत्पन्न पुनरीक्षण एवं अपील। 09. आरक्षी केन्द्र उचेहरा से उत्पन्न पाक्सो एक्ट-2012 से संबंधित प्रकरण तथा उनके रिमाण्ड, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही।
50	श्री सदाशिव दोंगोडे, जिला न्यायाधीश श्रंखला न्यायालय उचेहरा	तहसील उचेहरा	1. 1,00,00,001/- रुपये से अधिक मूल्य के व्यवहार वाद एवं उससे संबंधित विविध आवेदन पत्र तथा हिन्दू विवाह अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत मैट्रीमोनियल प्रकरण एवं घातक अपकृत्य विधि से संबंधित समस्त दावे एवं आवेदन पत्र। 2. रु. 501/- से 1,000/-रु. तक मूल्य के लघुवाद प्रकरण। 3. उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण। 4. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड उचेहरा के न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्रियों के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीलें। 5. दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध समस्त आवेदन पत्र। 6. दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 7. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 8. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत (पार्ट-10 को छोड़कर) प्रोबेट के लिये प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 9. भारतीय पागलपन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण। 10. गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 11. हिन्दू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण। 12. नगरपालिका परिषद के चुनाव से उत्पन्न याचिका/अपीलें। 13. मध्यस्थ अधिनियम (आर्बीट्रेशन एक्ट) के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 14. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित व्यवहार वाद, सिविल अपील, मि.सिविल अपील, विविध व्यवहार वाद, इजराय, क्लेम, भू-अर्जन के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं आवेदन पत्र। 15. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक अधिकारी (रेंट कंट्रोल) के आदेशों के विरुद्ध अपील

51	श्री सदाशिव दोंगोडे, अतिरिक्त मो0दु0दावा अधिकरण श्रंखला न्यायालय उचेहरा	थाना उचेहरा	थाना उचेहरा की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे।
52	श्री विवेक कुमार पाठक, अपर सत्र न्यायाधीश रामपुर बाघेलान	थाना रामपुर बाघेलान	1. सत्र प्रकरण। 2. आपराधिक अपील। 3. आपराधिक पुनरीक्षण। 4. विविध आपराधिक प्रकरण। 5. जमानत आवेदन पत्र, जिन्हें सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावे। 6. तहसील रामपुर बाघेलान के संपूर्ण थाना क्षेत्रों के सभी जमानत आवेदन पत्र (अन्य अधिसूचित विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य अपराधों को छोड़कर) 7. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रामपुर बाघेलान के न्यायालयों के निर्णय एवं दण्डादेशों तथा आदेशों के विरुद्ध अपील और पुनरीक्षण याचिकाएं। 8. अनुविभागीय दंडाधिकारी रामपुर बाघेलान से उत्पन्न पुनरीक्षण एवं अपील। 9. तहसील रामपुर बाघेलान के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न पाक्सो एक्ट-2012 से संबंधित प्रकरण तथा उनके रिमार्ड, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही।
53	श्री विवेक कुमार पाठक, जिला न्यायाधीश रामपुर बाघेलान	तहसील रामपुर बाघेलान	1. 1,00,00,001/- रुपये अधिक मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं संबंधित विविध आवेदन पत्र तथा हिन्दू विवाह अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत समस्त मैट्रीमोनियल प्रकरण एवं घातक अपकृत्य विधि से संबंधित समस्त दावे। 2. रु. 501/- से 1,000/-रु. तक मूल्य के लघुवाद प्रकरण। 3. उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण। 4. अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड तथा प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रामपुर बाघेलान के न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीलों। 5. दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध समस्त आवेदन पत्र। 6. दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 7. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 8. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत (पार्ट-10 को छोड़कर) प्रोवेट के लिये प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 9. भारतीय पागलपन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण। 10. गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 11. हिन्दू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण। 12. नगरपालिका परिषद के चुनाव से उत्पन्न याचिका/अपीलें। 13. मध्यस्थ अधिनियम (आर्बीट्रेशन एक्ट) के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 14. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित व्यवहार वाद, सिविल अपील, मि.सिविल अपील, विविध व्यवहार वाद, इजराय, क्लेम, भू-अर्जन के प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं आवेदन पत्र। 15. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक अधिकारी (रेंट कंट्रोल) के आदेशों के विरुद्ध अपील
54	श्री विवेक कुमार पाठक अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रामपुर बाघेलान	थाना रामपुर बाघेलान	थाना रामपुर बाघेलान की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित समस्त दावे एवं संबंधित अन्य समस्त आवेदन पत्र।
55	श्री पी.के. सौधिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सतना	तहसील रघुराजनगर, कोटर एवं बिरसिंहपुर	1. 5,00,001/- से 1,00,00,000/- रु. मूल्य तक के व्यवहारवाद एवं उनसे संबंधित निष्पादन एवं विविध प्रकरण माह जनवरी से अपैल तक प्रस्तुत होने वाले। 2. रुपये 500/- तक मूल्य के लघुवाद तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3. म.प्र. नगरपालिका निगम एवं नगरपालिका अधिनियम 1971 के नियम 39 (ए) और 172 (ए) के अंतर्गत अपीलों। 4. ग्राम पंचायतों के व्यवहार प्रकरणों के विरुद्ध अपीलों। 5. भारतीय उत्तराधिकार नियमों के पार्ट-10 (370 से 390 तक) के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिये प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं इजराय।

56	श्री चतुर्वेदी, प्रत्युश तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सतना	तहसील रघुराजनगर, कोटर बिरसिंहपुर	1. 5,00,001/- से 1,00,00,000/- रु. मूल्य तक के व्यवहारवाद एवं उनसे संबंधित निष्पादन एवं विविध प्रकरण माह मई से जुलाई प्रस्तुत होने वाले। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं इजराय।
57	पंचम व्यवहार न्याया. वरिष्ठ खण्ड सतना	—	पीठासीन अधिकारी बाल न्यायालय में पदस्थ है।
58	श्रीमती रितिका शर्मा खरे, षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सतना	तहसील रघुराजनगर, कोटर बिरसिंहपुर	1. 5,00,001/- से 1,00,00,000/- रु. मूल्य तक के व्यवहारवाद एवं उनसे संबंधित निष्पादन एवं विविध प्रकरण माह अगस्त एवं सितम्बर में प्रस्तुत होने वाले। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं इजराय।
59	श्री भूपेश कुमार मिश्रा, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सतना	तहसील रघुराजनगर, कोटर बिरसिंहपुर	1. 5,00,001/- से 1,00,00,000/- रु. मूल्य तक के व्यवहारवाद एवं उनसे संबंधित निष्पादन एवं विविध प्रकरण माह अक्टूबर एवं नवम्बर में प्रस्तुत होने वाले। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं इजराय।
60	श्रीमती रेनू यादव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश सतना	तहसील रघुराजनगर, कोटर बिरसिंहपुर	1. 5,00,001/- से 1,00,00,000/- रु. मूल्य तक के व्यवहारवाद एवं उनसे संबंधित निष्पादन एवं विविध प्रकरण माह दिसम्बर में प्रस्तुत होने वाले। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं इजराय।
61	श्री अजय प्रताप सिंह यादव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश सतना	---	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं इजराय।
	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सतना	राजस्व तहसील सतना	1. राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता (नगर निगम/नगर पालिका/ नगर पंचायत की क्षेत्राधिकारिता से भिन्न) के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतों से ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की द्वितीय अनुसूची के अनुसार उदभूत व्यवहार प्रकरण एवं आपराधिक प्रकरण। 2. जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित अन्य प्रकरण।
63	सुश्री सोनाली वर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सतना	तह0 रघुराजनगर, कोटर, बिरसिंहपुर	1. रुपये 5,00,000/- मूल्य तक के नियमित व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण एवं आवेदन पत्र माह जनवरी एवं अप्रैल में प्रस्तुत होने वाले। 2 प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं इजराय।
64	श्री राहुल मीना, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सतना	तह0 रघुराजनगर, कोटर, बिरसिंहपुर	1. रुपये 5,00,000/- मूल्य तक के नियमित व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण एवं आवेदन पत्र माह मई+जून में प्रस्तुत होने वाले। 2 प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं इजराय।
65	सुश्री सूर्यवंशी, मेघा पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सतना	तह0 रघुराजनगर, कोटर, बिरसिंहपुर	1. रुपये 5,00,000/- मूल्य तक के नियमित व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण एवं आवेदन पत्र माह जुलाई एवं अगस्त में प्रस्तुत होने वाले। 2 प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं इजराय।
66	सुश्री प्राची गुणवान, षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सतना	तह0 रघुराजनगर, कोटर, बिरसिंहपुर	1. रुपये 5,00,000/- मूल्य तक के नियमित व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण एवं आवेदन पत्र माह सितम्बर एवं अक्टूबर में प्रस्तुत होने वाले। 2 प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं इजराय।

67	सुश्री रघुवंशी, शिखा प्रथम न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सतना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश सतना	तहसील रघुराजनगर, कोटर एवं बिरसिंहपुर	1. रुपये 5,00,000/- मूल्य तक के नियमित व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण एवं आवेदन पत्र माह नवम्बर+दिसम्बर में प्रस्तुत होने वाले 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं इजराय।
68	सुश्री भानू पंडवार, प्रथम न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मैहर	तहसील मैहर	1. रु. 5,00,001/- से 1,00,00,000/-मूल्य के नियमित व्यवहारवाद एवं उनसे संबंधित निष्पादन एवं विविध आवेदन पत्र माह जनवरी से जून तक प्रस्तुत होने वाले। 2. रु. 201/- से 500/- मूल्य के समस्त लघुवाद प्रकरण। 3. उपरोक्त दावों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण, विविध प्रकरण एवं आवेदन पत्र। 4. ग्राम पंचायतों के निर्णय के विरुद्ध अपीलें एवं उनके अधिकार क्षेत्र को निरस्त करने के आवेदन पत्र। 5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पार्ट-10 (धारा 370 से 390 तक) के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिये प्रस्तुत समस्त प्रकरण माह जनवरी से जून तक प्रस्तुत होने वाले। 6. उपरोक्त दावों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद एवं आवेदन पत्र। 7. नगरपालिका निगम अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 8. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं इजराय।
69	श्री उद्दजीत कुवार राव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मैहर	तहसील मैहर	1. रु. 5,00,001/- से 1,00,00,000/-मूल्य के नियमित व्यवहारवाद एवं उनसे संबंधित निष्पादन एवं विविध आवेदन पत्र माह जुलाई से दिसम्बर तक प्रस्तुत होने वाले। 2. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पार्ट-10 (धारा 370 से 390 तक) के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिये प्रस्तुत समस्त प्रकरण माह जुलाई से दिसम्बर तक प्रस्तुत होने वाले। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं इजराय।
70	सुश्री निशा रघुवंशी, प्रथम न्यायाधीश कनिष्ठ की अतिरिक्त न्यायाधीश मैहर	तहसील मैहर	1. रुपये 5,00,000/- मूल्य तक के नियमित व्यवहारवाद एवं उनसे संबंधित निष्पादन एवं विविध आवेदन पत्र। 2. रु. रुपये 200/- मूल्य तक के समस्त लघुवाद एवं उनसे उत्पन्न संबंधित निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं इजराय।
71	श्री राजीव पटेल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड नागौद	तहसील नागौद एवं उचेहरा	1. रुपये 5,00,001/- से 1,00,00,000/-मूल्य के समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण तथा आवेदन पत्र माह जनवरी से जून तक प्रस्तुत होने वाले। 2. रु. 201 से 500/- मूल्य के समस्त लघुवाद। 3. उपरोक्त दावों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण एवं आवेदन पत्र। 4. ग्राम पंचायतों के निर्णय के विरुद्ध अपीलें तथा उनके अधिकार क्षेत्र को निरस्त करने के आवेदन पत्र। 5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पार्ट-10 (धारा 370 से 390 तक) के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिये प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं इजराय।
	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय नागौद	राजस्व तहसील नागौद	1. राजस्व तहसील नागौद की क्षेत्रीय अधिकारिता (नगर निगम / नगर पालिका/नगर पंचायत की क्षेत्राधिकारिता से भिन्न) के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतों से ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की द्वितीय अनुसूची के अनुसार उद्भूत व्यवहार प्रकरण एवं आपराधिक प्रकरण 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित अन्य प्रकरण।
72	श्री वैभव पटेल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड नागौद	तहसील नागौद एवं उचेहरा	1. रुपये 5,00,001/- से 1,00,00,000/-मूल्य के समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण तथा आवेदन पत्र माह जुलाई से दिसम्बर तक प्रस्तुत होने वाले। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं इजराय।

[illegible]

81	श्री विनय शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रृंखला न्यायालय मझगवां	तहसील मझगवां स्थान चित्रकूट	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त व्यवहार वाद एवं उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण एवं इजराय।
----	---	--------------------------------	--

नोट:— 1. यह कार्य विभाजन आदेश आगामी कार्य विभाजन आदेश तक लागू रहेगा तथा प्रकरणों का पंजीयन उपरोक्त कार्य विभाजन के आधार पर किया जावेगा।

2. कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के अवकाश/अनुपस्थिति की दशा में कुटुम्ब न्यायालय स्थापना का अत्यावश्यक/दैनिक नैमेत्तिक न्यायिक एवं प्रशासकीय कार्य प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा संपादित किया जावेगा तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में या अन्यथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अत्यावश्यक प्रशासकीय कार्य में व्यस्त रहने की अवस्था में विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) सतना तथा उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपरोक्तानुसार कार्य संपादित करेंगे।

3. मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने अथवा पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने पर उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्रों एवं अन्य आवश्यक कार्यों का निराकरण जिला मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) सतना को छोड़कर) द्वारा किया जावेगा।

4. जिला मुख्यालय सतना एवं तहसील मैहर/नागौद/अमरपाटन/रामपुर बाघेलान/उचेहरा/चित्रकूट/मझगवां में पूर्व संचालित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है, उक्त रिक्त न्यायालय के समस्त आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु संबंधित मुख्यालय/तहसील में पदस्थ उक्त पदक्रम के वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) सतना को छोड़कर)/वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड को अधिकृत किया जाता है।

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 10 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश अवधि में ग्रीष्माकालीन एवं शीतकालीन अवकाश के संबंध में किये जाने वाले विशेष आदेश के अधीन रहते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 से संबंधित मुख्यालय में प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक दिवस के पंजीयन प्राथमिकता से एक-एक जमानत आवेदन पत्र क्रमशः विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) सतना एवं प्रथम/द्वितीय/तृतीय/सप्तम/अष्टम/नवम/ग्यारहवें/बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश सतना की न्यायालय में अंतरित माने जावेंगे, साथ ही यदि किसी दिवस 09 से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत होते हैं तो पुनः क्रमशः इसी क्रमानुसार अंतरित माने जावेंगे। संबंधित क्रम के न्यायाधीश के अवकाश पर होने पर उनके प्रभार के न्यायाधीश के यहां उक्त अंतरित तिथि के जमानत आवेदन स्वयं ही अंतरित मान्य किये जावेगे।

6. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 के अंतर्गत अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन पत्र जिस न्यायालय द्वारा सुनवाई में लिया गया है उसी अभियुक्त का अथवा उसी अपराध से संबंधित अन्य सह-अभियुक्तगण का जमानत आवेदन-पत्र भी उसी न्यायालय में अंतरित माना जावेगा।

7. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) सतना/अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सतना तथा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश सतना की न्यायालय से समस्त सिविल प्रकरणों को अंतरण किए जाने के फलस्वरूप उक्त न्यायालय से संबंधित समस्त सिविल कार्य के निराकरण हेतु क्रमशः द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सतना एवं तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सतना को अधिकृत किया जाता है।

8. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिले में पदस्थ अन्य न्यायाधीशों के अवकाश पर अथवा मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि में उक्त न्यायालय के अत्यावश्यक सिविल, आपराधिक एवं विशेष प्रकरणों की सुनवाई संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए न्यायाधीशगण द्वारा की जायेगी।

(श्रीमती मीरा सोलंकी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सतना (म.प्र.)

नोट :- परिशिष्ट "अ" के कॉलम नम्बर 2 में उल्लिखित न्यायाधीश की अवकाश/अनुपस्थिति में उनके न्यायालय के आवश्यक कार्य का निराकरण कॉलम नम्बर 3 में उल्लिखित क्रमानुसार न्यायाधीशगण द्वारा किया जाएगा। यदि कॉलम नम्बर 3 में उल्लिखित सभी न्यायाधीशगण अनुपस्थित/अवकाश पर हैं तो उस समय मुख्यालय/तहसील में पदस्थ उक्त पदक्रम के वरिष्ठ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) सतना को छोड़कर)/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड के द्वारा उक्त न्यायालय के आवश्यक कार्य का निराकरण किया जाएगा। साथ ही जिला मुख्यालय/तहसील न्यायालयों में संचालित ऐसे न्यायालय जिनका उल्लेख परिशिष्ट-अ में नहीं किया गया है, उक्त न्यायालय के आवश्यक कार्य का निराकरण संबंधित मुख्यालय/तहसील न्यायालयों पर पदस्थ उक्त पदक्रम के वरिष्ठ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) सतना को छोड़कर)/वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के द्वारा किया जाएगा।

[illegible]

[illegible]

